industrial development to the semi-urban and rural areas of the country. The Industrial Policy and the Licensing Policy of the Government are fully geared to these objectives. These policies provide for a framework for a rapid and broad-based industrial growth consistent with other socio-economic objectives of the Govt. The Policy of raising the exemption limit, for the purpose of industrial licensing to Rs. 1 crore subject to certain conditions, reservation of certain industries for development exclusively in the Small Scale Sector and extending the area of such reservation and encouraging the Co-operative and Rural Industries sector have all helped to broaden the industries base and provide for increased employment opportunities.

Shortage of Civil Engineers

459. SHRI P. A. SAMINATHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the attention of Government has been drawn to the 8th Annual Report of the Institute of Applied Manpower Research about the indication of marginal shorage of Civil Engineers by 1973-74; and
- (b) if so, the steps taken by Government to avoid the shortage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K.C. PANT): (a) and (b): Yes, Sir, The Report on "Civil Engineers in India-Stock, Domand and Supply" published very recently by the Institute of Applied Manpower Research contains an assessment that by 1973-74, there will be a surplus of 3,000 civil engineering graduates and a shortage of 9,900 civil engineering diploma-holders. The shortage would be very marginal, about 6,900, in comparison to the total stock of about 1,50,000 civil sugmeers in the country in 1973-74. The future demand for engineers and the enrolment targets in engineering institutions are being continuouly reviewed by Government, ao that ramedial measures can be taken in time.

विखारे जिलों में लघुतवामध्यम स्तर के भौद्योगिक एककों के लिए सहायता

460. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव: श्री ग्रार. वी. वड़े: श्री पी. नरसिम्हा रेडडी:

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश के पिछड़े जिलों में नये ग्रारम्भ हुये लखु तथा मध्यम स्तर के ग्रीद्योगिक एक्कों को ग्रनुदान अथवा सहायता देने के लिये कोई योजना वनाई गई है; और
- (स) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बाते क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जारही है?

धौद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी घनस्याम स्रोभ्हा) : (क) (स) योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श द्वारा एक योजना तैयार कर घोषित की गई गयी है। इस योजना के भ्रनसार केन्द्रीय सहायता के लिए जो 50 लाख रुपये से कम ग्राचल पूंजी विनियोजन वाले नए एक्कों के अचल पंजी विनियोजन के 1/10 भाग के बराबर होगी। कुछ जिलों क्षेत्रों का चयन किया गया है। योजना आयोग का व्यौरा 26 घगस्त 1971 के प्रसाधारण गजट मे प्रकाशित किया गया है। जम्म तथा काश्मीर नागानैण्ड, मासाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा भोर नेका में स्थापित किए जाने वाले नए एक्कों के लिए परिवहन सहायता की भी 27 जुलाई, 1971 को घोषणा की गई है। यह सहायता कच्चे माल और इन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने बाले एक्कों द्वारा उत्पादित तैयार माल के परिवहन के लिए उपलब्ध होगी।

तगभग 200 जिलों, जिनको पिछड़ें जिले की संज्ञा दी गई है, में स्थापित किए जाने बाले उद्योगों के लिए रियायती दरों पर बिक्त प्राप्य हैं।

इसके अलावा, विभिन्न पिछक् के घों में